

अति तत्काल

परिपत्र सं. ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग-II)

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(एमपीलैड्स प्रभाग)

ईस्ट ब्लॉक-6, लेवल-5,

आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: 8 अप्रैल, 2020

**विषय:** सोसाइटी में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का गैर-प्रचालन

कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा एक वैश्विक महामारी और साथ ही गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा एक "अधिसूचित आपदा" घोषित किया गया है। सरकार पूरे राष्ट्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव दूर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसके लिए भौतिक, वित्तीय, चिकित्सा, तकनीकी और उपलब्ध अन्य सभी संसाधनों की पूर्णता की आवश्यकता है। तदनुसार, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थात् दो वर्षों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का प्रचालन नहीं किया जाएगा और सोसायटी में कोविड-19 की चुनौतियों तथा इसके प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए इन निधियों को वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा जाएगा।

2. इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा:
  - क) नोडल जिला प्राधिकारी के खातों में दो वर्षों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमपीलैड्स की और किस्ते जारी नहीं की जाएंगी।
  - ख) अनुशंसित कार्य जो पहले से संस्वीकृत हैं और जिला प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को ठेके पर दिए गए हैं और जिनके लिए निधियां उपलब्ध हैं, उन्हें मौजूदा उपलब्ध

निधियों से ही पूरा किया जाएगा क्योंकि इन दो वर्षों में इन कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त निधि जारी नहीं की जाएगी।

- ग) माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध है कि वे किसी भी ऐसे नए कार्य की सिफारिश न करें जिसके लिए जिला प्राधिकरण के खातों में धनराशि उपलब्ध नहीं है।
- घ) माननीय संसद सदस्य (एमपी) अपनी पहले की संस्तुतियों की प्राथमिकता, यदि व्यावहारिक हो तो, को बदल सकते हैं, ताकि जिला प्राधिकरण के पास पहले से उपलब्ध धनराशि के भीतर अनुशंसित कार्य पूर्ण किए जा सकें क्योंकि अतिरिक्त निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
- इ) माननीय संसद सदस्य भी चिकित्सा कार्मिकों के लिए आवश्यक पीपीई, वेंटिलेटर, मास्क आदि की खरीद के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रबंधन में जिला प्राधिकरणों के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु दिनांक 24-03-2020 के परिपत्र संख्या ई-24020/एमपीलैड्स- (भाग) के अनुसरण में कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं। माननीय संसद सदस्यों की यह सिफारिश पहले से अनुशंसित कार्यों को फिर से प्राथमिकता देकर या उन्हें रद्द करके संबंधित जिला प्राधिकरण के पास पहले से उपलब्ध निधियों से पूरी की जाएगी।
- च) जिला प्राधिकारियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी अनुशंसित कार्य को मंजूरी/स्वीकृति न दें जिसके लिए न तो धन उपलब्ध हो या उपलब्ध निधियों से पूरा न किया जा सकता हो क्योंकि अतिरिक्त निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
3. अतः, दिनांक 28-03-2020 का परिपत्र संख्या ई-4/2020-एमपीलैड्स- (भाग-II) अनावश्यक है और उसे एतद्वारा रद्द किया जाता है।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

तनवीर क़मर मोहम्मद

(तनवीर क़मर मोहम्मद)

संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स)

दूरभाष: 011-2610 6413 (का.)

ईमेल: mplads@nic.in

सेवा में,

1. सभी माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा/लोकसभा)
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव
4. दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चेन्नई के निगम आयुक्त
5. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

सूचनार्थ प्रति

1. माननीय उपसभापति, राज्यसभा के निजी सचिव
2. माननीय स्पीकर, लोकसभा के निजी सचिव
3. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के निजी सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव/अपर सचिव/निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय के पीपीएस
5. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
6. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
7. सचिव/महानिदेशक (सी & ए) अपर सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन)/अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार/डीडीजी (प्रशासन)/निदेशक (एमपीलैड्स)/उपसचिव (एमपीलैड्स) एमपीलैड्स शाखा समिति, लोकसभा सचिवालय
8. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, लोक सभा सचिवालय
9. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, राज्य सभा सचिवालय
10. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
11. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ